* ॐ *

श्रीभगवद्भक्ति आश्रम रामपुरा रेवाड़ी

की

श्रीभगवद्भक्ति प्रचारिणी सभा

की नियमावली का ढाँचा।

१. इसका नाम श्रीभगवद्भक्ति आश्रम रामपुरा रेवाड़ी की भगवद्भक्ति प्रचारिणी सभा रामपुरा होगा।

२. इसके उद्देश्य निम्न लिखित होंगे:-

१. श्री भगवान की भक्ति का प्रचार करना।

२. गोरक्षा और उसके लिये गोचर भूमि छुड़वाना

३. जंगलों में वृक्ष लगवाना और उसके बीच में जलाशय बनवाना।

४. शिक्षा का प्रचार करना जिसमें मनुष्य मात्र विद्यालाभ कर सकें और प्राचीन प्रथा को फिर प्रचलित करना।

५. बीमारियों के अवसर पर दवाई बांटना।

६. आसपास के ग्रामों में परस्पर के झगड़े और वैमनस्य मिटा कर शान्ति और प्रेम बढ़ाना।

७. सब संस्थाओं में भगवद्भक्ति और धर्म का भाव जाग्रत करना।

८. राजा और प्रजा सब ही का हित चिन्तन करना।

३. इसके सभासद निम्नलिखित नियमानुसार यदि उस की मन्जूरी ¾ सभासदों की राय से होजाय बन सकेंगे ।

१. प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष ।

२. जो सदाचारी हो ।

३. जो उदार सनातन धर्मी हिन्दू हो ।

४. (क) जो न्यूनातिन्यून १००) वार्षिक चन्दा आश्रम को अपने पास से अथवा मांग कर दे ।

अथवा

(ख) न्यूनातिन्यून १०००) नकद आश्रम में दान दे ।

अथवा

(ग) कम से कम वर्ष में एक मास आश्रम में रह कर आश्रम का कार्य जो समय २ पर जैसा बताया जाय करे ।

५. आश्रम में रहते समय आश्रम के निवास सम्बन्धी नियमों का पालन करे ।

६. जो आश्रम के उद्देश्यों को स्वीकार करे ।

४. इन सभासदों के समुदाय का नाम जनरल कमेटी श्रीभगवद्भक्ति आश्रम रामपुरा रेवाड़ी की भगवद्भक्ति प्रचारिणी सभा रामपुरा होगा ।

५. इस कमेटी के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-
१. सभापति, २ उपसभापति, ३ मंत्री, ४ उपमन्त्री ५, कोषाध्यक्ष ।

६. प्रत्येक वर्ष के अन्त में जनरल कमेटी का वार्षिक अधिवेशन हुवा करेगा, जिसमें निम्न कार्य सम्पादन होगा:-

१. पदाधिकारियों का चुनाव।
२. गत वर्ष के कार्य का समस्त विवरण।
३. भविष्य के लिये कार्यक्रम का यथा सम्भव चित्र निर्माण।
४. आय व्यय का बजट।
५. अन्य सभी कार्य जिनकी सूचना सभासदों की ओर से कम से कम १५ दिन पूर्व मिल चुकी हो।
६. वह कार्य जिनको सभापति अथवा मन्त्री पेश करना आवश्यक समझें।
७. अगले वर्ष की कार्यकारिणी का चुनाव।

७. जनरल कमेटी का अधिवेशन बुलाया जायगा:-

१. यदि उसकी आवश्यकता सभापति अथवा मन्त्री समझें।

अथवा

२. यदि उसकी आवश्यकता निवेदन पत्र द्वारा चार अथवा चार से अधिक सभासद १५ दिन पूर्व प्रकट करें और कार्यक्रम भेजें।

८. जनरल कमेटी और कार्यक्रम की सूचना कम से कम १५ दिन पूर्व सभापति अथवा मन्त्री द्वारा लिखित दी जायगी।

९. अति आवश्यकता के समय सात दिवस पूर्व भी सूचना दी जा सकती है परन्तु इसका कारण

सूचना के साथ लिख कर भेजना होगा।

१०. यदि नियम नं० ७ की धारा २ के अनुसार मन्त्री अथवा सभापति कमेटी न बुलायें तो उन्हें पुनः एक सप्ताह का नोटिस देने के १० दिन पीछे स्वयं वे सभासद जनरल कमेटी की बैठक का नोटिस निकाल सकते हैं।

११. मीटिंग के नियम निम्न लिखित होंगे:-

१. सभापति की उपस्थिति में सभापति, सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सभासद जिसे बहुमत से निर्वाचित करें चेयरमैन होगा।

२. हर बात का निर्णय जिसके विषय में कोई दूसरा प्रकार नियत न हो उपस्थित सभासदों में से राय देने वाले सभासदों के बहुमत से होगा।

३. एजेण्डा क्रमवार पेश होगा अथवा बहुमत जिस रीति से निर्णय करे पेश होगा।

४. सभा के कार्य सम्बन्धी हर प्रश्न का फैसला सभापति देगा और वह अन्तिम होगा।

५. प्रस्तावक पहिले अपनी स्पीच देगा पश्चात् संशोधक यथाक्रम अपनी स्पीचें देंगे। प्रस्तावक और संशोधकों के पीछे विरोधियों में से जिन जिन को सभापति आज्ञा दें अपनी अपनी स्पीचें देंगे। जवाबी स्पीच का प्रस्तावक को हक होगा

६. जब चेयरमैन बहस बन्द कर देगा तब पहिले संशोधनों पर और पीछे संशोधित प्रस्ताव पर वोट लिये जांयगे।

७. सभापति का एक कास्टिंग वोट होगा जो समराय होने पर वर्ताव में लाया जायगा।

८. सभासदों की उपस्थिति लिखी जायगी। और कार्यक्रम पर केवल सभापति के हस्ताक्षर पर्याप्तहोंगे।

९. कोरम $\frac{1}{3}$ होगा और किसी भी अवस्था में पांच से कम न होगा।

१०. यदि किसी मीटिंग में कोरम पूरा न हो तो चेयरमैन सभा को किसी समय के लिये स्थगित करदे और इस स्थगित सभा का कोई कोरम न होगा।

१२. इस सभा की एक कार्यकारिणी सभा होगी। इसके सभासद वही हो सकेंगे जिन्हें जनरल कमेटी बहुमत से नियुक्त करे और जो निम्नलिखित नियमों को स्वीकार करें:-

१. वह नियम जो समय समय पर उनके नियुक्त करने से पूर्व उनके सम्बन्ध में बने हों।

२. नियम नं० ३ की धारा नं० १, २, ३, ५ और ६ को स्वीकार करें।

१३. कार्य कारिणी के सभापति, उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री और कोषाध्यक्ष वही होंगे जो जरनल

कमेटी के होंगे और ये पदाधिकारी स्वभावतः ही कार्यकारिणी के सभासद समझे जांयगे।

१४. कार्यकारिणी के सभासदों की संख्या वही होगी जो समय समय पर जनरल कमेटी नियत करेगी।

१५. वार्षिक जनरल कमेटी में हर वर्ष इसका नया चुनाव हुआ करेगा।

१६. आश्रम का प्रत्येक कार्य जनरल कमेटी की आज्ञानुसार सम्पादन करने को कार्यकारिणी जुम्मेवार होगी।

१७. कार्यकारिणी प्रत्येक कार्य को जो आश्रम के उद्देशानुकूल हो और जनरल कमेटी की आज्ञाओं के प्रतिकूल न हो करने की अधिकारिणी होगी।

१८. आश्रम की समस्त जायदाद कार्यकारिणी के अधिकार में रहेगी। वह उसके प्रबन्ध और रक्षा की जुम्मेवार होगी।

१९. कार्यकारिणी के अधिवेशनों के भी वही नियम होंगे जो जनरल कमेटी के लिये हैं अर्थात् नियम नं० ११

२०. कार्यकारिणी के किसी मेम्बर को यदि जनरल कमेटी कार्य कारिणी में न रखना चाहे तो उसे १५ दिन के नोटिस से उपस्थित $\frac{3}{5}$ सभासदों की राय से पृथक् करने का अधिकार होगा। उसके स्थान पर जनरल कमेटी किसी अन्य मेम्बर को नियुक्त करना चाहे तो बहुमत से कर सकेगी।

२१. कार्यकारिणी को अपने प्रबन्ध सम्बन्धी बाइलाज़

बनाने का अधिकार होगा और वह उस समय तक लागू रहेंगे जब तक कि स्वयं कार्यकारिणी की सम्मति से अथवा जनरल कमेटी $\frac{3}{5}$ की सम्मति से रद्द न करदे।

२२. राव बहादुर बलवीर सिंह जी रामपुरा रेवाड़ी और सेठ रामकृष्ण दास जी डालमियां चिड़ावा निवासी जनरल कमेटी के लाइफ मेम्बर समझे जांयगे अर्थात् नियम नं० ३ की धारा नं० ४ इन पर लागू नहीं होगी।

२३. जनरल कमेटी का प्रत्येक मेम्बर पृथक् हो सकेगा।

१. यदि उसने त्याग पत्र दे दिया हो।

२. यदि जनरल कमेटी के $\frac{3}{5}$ सभासद स्वयं उपस्थित होकर या मुख्त्यार द्वारा उसे पृथक् करने की सम्मति दें।

३. यदि उसने नियम नं० तीन की धारा २, ३, ५, ६, और धारा ४ की उपधारा क और ग की प्रतिज्ञा तोड़ दी हो।

४. किसी मेम्बर के पृथक् करने का प्रस्ताव पेश न हो सकेगा जब तक जनरल कमेटी के $\frac{1}{5}$ मेम्बर लिख कर अपने हस्ताक्षरों से ३० दिन पूर्व ऐसा प्रस्ताव पेश न करदें।

आश्रम में रहने के नियम

१. हर स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य से रहना होगा।

२. स्त्री स्त्रियोंके विभाग में और पुरुष पुरुषों के विभाग में रहेंगे।

३. मांस मदिरा से रहित खान पान करना होगा

४. अश्लील भाषण तथा हर प्रकार की गाली से वर्जित रहना होगा।

५. तम्बाकू पीना और खाना वर्जित होगा।

६. शारीरिक परिश्रम सम्बन्धी कार्य में सबके साथ शामिल होना होगा।

७. प्रातः सायं प्रार्थना में सम्मिलित होना होगा।

नोटः-बीमारी तथा अन्य किसी उचित कारण से कोई आश्रम-वासी नियम नं० ६ और ७ से मुक्त किया जा सकता है।

मुद्रकः-भूमानन्द ब्रह्मचारी "भक्ति प्रेस" श्रीभगवद्भक्ति आश्रम, रामपुरा रेवाड़ी।